न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 67/2022, जिला सीकर

1. कानाराम पुत्र श्री घीसाराम जाति रैगर, निवासी ग्राम चूडोली तहसील धोंद जिला सीकर राज0।
2. दुलाराम पुत्र श्री घीसाराम
3. मदनलाल पुत्र श्री घीसाराम
4. रामेश्वर पुत्र श्री घीसाराम समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम ढाणी चूडोली तहसील धोंद जिला सीकर राज0।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार धोंद जिला सीकर राज0।

—रेस्पोंडेन्ट

2. गोदावरी पत्नी सेवाराम जाति रैगर निवासी ग्राम ढाणी चूडोली तहसील धोंद जिला सीकर राज0।
3. मनकुडी देवी पत्नी मांगीलाल जाति रैगर निवासी ग्राम ढाणी चूडोली तहसील धोंद जिला सीकर राज0।
4. मूलचन्द पुत्र रतनलाल जाति रैगर निवासी ग्राम रायपुरा तहसील दातारामगढ जिला सीकर राज0
5. विमला पुत्री रतनलाल जाति रैगर निवासी ग्राम रायपुरा तहसील दातारामगढ जिला सीकर राज0
6. सुशील पुत्र रतनलाल जाति रैगर निवासी ग्राम रायपुरा तहसील दातारामगढ जिला सीकर राज0
7. छीगनी देवी पत्नी श्री गोरधनलाल जाति रैगर निवासी ग्राम ढाणी चूडोली तहसील धोंद जिला सीकर राज0।

—प्रोफार्मा रेस्पोंडेन्ट्स

8. शिवभगवान पुत्र टोडाराम
9. गोपाल पुत्र टोडाराम
10. रिछपाल पुत्र टोडाराम

समस्त जाति जाट निवासी ढाणी चूडोली तहसील धोंद जिला सीकर राज0।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.11.2021 मिसल संख्या 13/2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोंद मुख्यालय सीकर।

उपस्थित—

1. श्री हजारी लाल शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1
3. श्री हरलाल सिंह वकील रेस्पोडेन्ट नं. 8 से 10 की ओर से

निर्णय

दिनांक —16.08.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी धोंद जिला सीकर के निर्णय दिनांक 08.11.2021 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :—

Scanned by CamScanner

यह कि वाके ग्राम ढाणी चूडोली तहसील धोंद जिला सीकर में स्थित खसरा नं. 59 रकबा 2.4800 है0 व खसरा नं. 61 रकबा 0.9000 है0 के खातेदार व काश्तकार की भूमि में से तहसीलदार धोंद ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोंद जिला सीकर को रास्ता प्रस्ताव भेजा जिस बाबत् उपखण्ड अधिकारी धोंद ने अपने निर्णय दिनांक 08.11.2021 को उक्त खसरा नम्बरों में रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये।

उपखण्ड अधिकारी धोंद जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 08.11.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स कानाराम पुत्र श्री घीसाराम वगै0 द्वारा यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम एवं 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी धोंद दिनांक 08.11.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम ढाणी चूडोली तहसील धोंद जिला सीकर में स्थित खसरा नं. 59 रकबा 2.4800 है0 व खसरा नं. 61 रकबा 0.9000 है0 के अपीलांट्स व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 7 खातेदार व काश्तकार हैं। तहसीलदार धोंद व पटवारी द्वारा कैम्प शिविर में एक ही दिन में बिना मौके की जॉच किये उक्त विवादित भूमि में रास्ता प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोंद को भेजा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना मौके की जॉच, खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं जबकि उक्त भूमि खसरा नं. 59 व 61 में पूर्व में ना तो कोई आम व सार्वजनिक रास्ता था ना ही वर्तमान में है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.11.2021 में जो रास्ते का अंकन है उसकी किसी को आवश्यकता भी नहीं है और अगर किसी को व्यक्तिगत आवागमन हेतु रास्ता की आवश्यकता होती है तो राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए के तहत् वाद प्रस्तुत कर रास्ता प्राप्त कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार न करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.11.2021 पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी धोंद दिनांक 08.11.2021 निरस्त किया जावे। अपीलाण्ट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में दिनांक 01.08.2022 को लिखित बहस के साथ भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 55–58 व 59 व माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 24.06.2022 की फोटोप्रति पेश की।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि भूमि खसरा नं. 46 ,47, 58, 59, 61 से होकर एक पुराना प्रचलित रास्ता कदीम से कायम है जिस पर न केवल प्रार्थीगण अपने खसरा नं. 62, 63, व 80 में आते जाते हैं बल्कि अन्य खातेदार भी वर्षो से आवागमन हेतु उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं एवं मौके पर रास्ता आज भी यथावत कायम है। अपीलांट्स द्वारा हाल ही में रास्ता बंद कर देने के कारण शिकायत पश्चात् तहसीलदार धोंद ने टीम गठित कर दिनांक 28.05.2022 को उक्त प्रचलित रास्ते को खुलवाया। अपीलांट्स को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर देकर व मौके की जॉच पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी धोंद जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार धोंद ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता राजस्व नक्शे में डॉटेड रास्ता है एवं मौके पर

Scanned by CamScanner

प्रचलित है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी धोंद जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 21.04.2022 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर ग्रहण किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित रास्ता अनेक नम्बरों से होकर गुजरता है तथा पूर्व से ही डॉटेड रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोंद जिला सीकर द्वारा इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र 2016 एवं 2021 में दिए गए निर्देशानुसार ही तहसीलदार के प्रस्ताव के आधार पर रास्ते का निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से जाहिर होता है कि रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही "प्रशासन गॉवों से संग अभियान–2021" के अंतर्गत मजमेआम में कैम्प स्थल पर की गई है जिसमें सैकडों की संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित होते हैं। धारा–58 में भी सम्बन्धित को भ्रमण की सूचना देने की अपेक्षा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवार हल्का की रिपोर्ट में उल्लेख है कि–"प्रस्तावित रास्ता सेटलेमेण्ट द्वारा आंशिक डॉटेड दर्ज है एवं मौके पर प्रचलित है" जिससे माना जा सकता है कि राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज एवं मौके पर प्रचलित रास्ते को ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। दिनांक 25.05.2022 को फर्द मौका रिपोर्ट से भी जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रचलित रास्ते में अवरोध पैदा किया गया है जिसे राजस्व विभाग द्वारा पुलिस के सहयोग से ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनो की मदद से खुलवाया गया। इस प्रकार राज्य सरकार के परिपत्र 2016 एवं 2021 के अनुरूप ही प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। इसमें खातेदारी की भूमि कम नहीं की गई है केवल राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन राज्य सरकार के निर्देशानुसार दर्ज किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोंद जिला सीकर का निर्णय दिनांक 08.11.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner